[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड- (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं 4/2018-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2018

सा.का.नि _________(अ).- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एततद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल, जब उनका आयात भारत में किया गया हो, पर लगाए जाने वाले सीमा शुल्क के संपूर्ण भाग से, जोकि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और उन पर उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 7 के अंतर्गत लगाए जाने वाले संपूर्ण एकीकृत कर से छूट प्रदान करती है, बशर्ते कि :-

(i) उक्त माल का आयात , 8 जून, 1961 को ब्रसेल्स में हुए टेम्पोरेरी एडमिशन ऑफ गुड्स के ए. टी. ए. कारनेट संबंधी कस्टम कन्वेंशन (ए. टी. ए. कन्वेंशन) के प्रावधानों के अनुसार फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एतश्मिन्पश्चात जिसे फिक्की से संदर्भित किया गया है) के द्वारा गारंटी दिए गए कारनेट के अंतर्गत भारत में किया गया हो;

(ii) उक्त माल का स्वामी ऐसा प्राकृतिक व्यक्ति होगा जो विदेश का निवासी हो या उसका स्वामी ऐसा कोई विधिक व्यक्ति हो जो विदेश में स्थापित हो;

(iii) उक्त माल का आयातकर्ता ऐसा प्राकृतिक व्यक्ति होगा जो विदेश का निवासी हो या उसका स्वामी ऐसा कोई विधिक व्यक्ति हो जो विदेश में स्थापित हो;

(iv) उक्त माल पुन: निर्यात के समय पहचान किए जाने योग्य हो;

(v) उक्त माल सभी दृष्टि से निर्यात करने वाले भू-क्षेत्र के सीमाशुल्क प्राधिकारियों के द्वारा विधिवत् प्रमाणित कारनेट में दिए गए विवरण, मात्रा, गुणवत्ता, मूल और अन्य विशेषताओं के अनुरूप हो;

(vi) उक्त माल का निर्यात, आयात की तारीख से दो महीने के भीतर किया जाना होगा :

बशर्ते कि यदि उक्त माल का पुन:निर्यात उक्त दो माह की अवधि के भीतर कर दिया जाता है तो इस दो माह की अवधि की गणना उक्त कारनेट के अंतर्गत होने वाले प्रथम आयात की तारीख से की जाएगी :

बशर्ते और भी कि जहां प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो इस बात से संतुष्ट हो कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह उक्त दो माह की अवधि को अगले अधिकतम दो माह की अवधि तक बढ़ा सकते है;

(vii) यदि ऐसे माल का निर्यात उपर्युक्त अवधि के भीतर न कर पाने की स्थिति में, फिक्की तथा आयातकर्ता संयुक्त रूप से तथा पृथक रूप से आयात की तिथि के ,अनुसार माल पर लगने वाले सीमा शुल्क का : भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे ,उस पर लागू ब्याज सहित ,

बशर्ते कि फेडरेशन का दायित्व सीमा शुल्क की राशि के अतिरिक्त, उस राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

2. इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात डाक के माध्यम से आयात किए जाने वाले माल पर लागू नहीं होगी।

3. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होगी ।

अनुसूची

(क) प्रेस के लिए उपकरण जैसे कि :

(i) पर्सनल कंप्यूटर;

(ii) सभी प्रकार के कैमरा (फिल्म तथा इलेक्ट्रानिक कैमरा);

(iii) साउंड या ईमेज ट्रांसमिटिंग, रिकॉर्डिंग या रिप्रोड्यूसिंग उपकरण;

(iv) साउंड या ईमेज रिकॉर्डिंग मीडिया, ब्लैंक या रिकॉर्डेड;

(v) टेस्टिंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तथा उपकरण (ओसिलोग्राफ, टेप तथा वीडियो रिकॉर्डर टेस्ट सिस्टम, मल्टीमीटर, टूल बॉक्स तथा बैग्स, वेक्टर स्कोप, वीडियो जेनेरेटर आदि);

(vi) लाइटिंग उपकरण (स्पॉट लाइट, कनवर्टर, ट्रिपोड); तथा

(vii) ऑपरेशनल सहायक सामग्री (एक्सपोजर मीटर, लैंस, ट्रिपोड, एक्यूमिलेटर्स, बैट्री बेल्ट, बैट्री चार्जर, मॉनीटर) ।

(ख) साउंड ब्रॉडकास्टिंग उपकरण जैसे कि :

(i) दूरसंचार उपकरण जैसे ब्रॉडकास्ट ट्रांसमीटर-रिसिवर या ट्रांसमीटर्स;

(ii) टर्मिनल कनेक्टेबल टू नेटवर्क या केवल, सेटेलाइट लिंक;

(iii) ऑडियो फ्रिक्वेंसी प्रोडक्शन उपकरण (साउंड पिक अप, रिकॉडिंग या रिप्रोड्यूसिंग उपकरण);

(iv) टेस्टिंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तथा उपकरण (ओसिलोग्राफ, टेप तथा वीडियो रिकॉर्डर टेस्ट सिस्टम, मल्टीमीटर, टूल बॉक्स तथा बैग्स, वेक्टर स्कोप, वीडियो जेनेरेटर आदि);

(v) ऑपरेशनल सहायक सामग्री (घड़ी, स्टॉप वाच, कंपास, माइक्रोफोन, मिक्सिंग कंसोल, साउंड टेप, जेनेरेटिंग सेट, ट्रांसफॉर्मर, बैट्री तथा एक्यूमिलेटर, बैट्री चार्जर, हीटिंग, एयरकंडिशनिंग तथा वेंटीलेटिंग उपकरण आदि); तथा

(vi) साउंड रिकॉर्डिंग मीडिया, ब्लैंक या रिकॉर्डेड ।

(ग) टेलीविजन, ब्रॉडकास्टिंग उपकरण जैसे कि :

(i) टेलीविजन कैमरा;

(ii) टेलीसिनेमा;

(iii) टेस्टिंग तथा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तथा उपकरण;

(iv) ट्रांसमिशन तथा रिट्रांसमिशन उपकरण;

(v) कम्यूनिकेशन उपकरण;

(vi) साउंड या ईमेज रिकॉर्डिंग या रिप्रोड्यूसिंग उपकरण (टेप तथा वीडिया रिकॉर्डर तथा वीडिया रिप्रोड्यूसर, माइक्रोफोन, मिक्सिंग कंसोल, लाउडस्पीकर);

(vii) लाइटिंग उपकरण (स्पॉट लाइट, कनवर्टर, ट्रिपोड);

(viii) एडिटिंग उपकरण;

(ix) ऑपरेशनल सहायक सामग्री (घड़ी, स्टॉप वाच, कंपास, लैंस, एक्सपोजरमीटर, ट्रिपोड, बैट्री चार्जर, कैसेट्स, जेनेरेटिंग सेट, ट्रांसफॉर्मर, बैट्री तथा एक्यूमिलेटर, हीटिंग, एयरकंडिशनिंग तथा वेंटीलेटिंग अपार्ट्स आदि);

(x) साउंड या ईमेज रिकॉर्डिंग मीडिया, ब्लैंक या रिकॉर्डेड (क्रेडिट टाइटल्स, स्टेशन कॉल साइन, म्यूजिक इंसर्ट्स, आदि);

(xi) फिल्म रशेस; तथा

(xii) म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कॉस्ट्यूम्स, सिनेरी तथा अन्य स्टेज प्रोपर्टी, पेडेस्टॉल, मेक-अप मैटेरियल, हेयरड्रायर।

(घ) खेल-कूद का सामान जैसे कि :

(i) ट्रैक तथा फील्ड उपकरण, जैसे कि बाधा, भाले, डिस्कस, डंडे, शॉट्स, हथौड़ों;

(ii) बॉल गेम उपकरण जैसे कि बॉल, रैकेट, मैलेट्स, क्लब, स्टिक, बैट, विकेट तथा इसी प्रकार के;

(iii) विंटर स्पोर्ट्स उपकरण जैसे कि स्की तथा स्टिक, स्केट्स, बोबस्लेय;

(iv) स्पोर्ट्सवियर, जूते, दस्ताने, हेडगियर आदि;

(v) वाटर स्पोर्ट्स उपकरण जैसे कि कैनोज तथा कयाक्स, सेल तथा रो-बोट, सेल, ओर्स तथा पैडल, सर्फ बोर्ड तथा सेल;

(vi) मोटरवाहन तथा क्राफ्ट जैसे कि कार, मोटरसाइकिल, मोटरबोट;

(vii) विविध आयोजनों के लिए उपकरण, जैसे खेल के हथियार तथा गोला-बारूद, नॉन-मोटराइज्ड बाईसिकल, तीरंदाज़ के धनुष तथा तीर, फेंसिंग उपकरण, जिम्नास्टिक उपकरण, कंपास, कुश्ती मैट तथा टाटामिस, भारोत्तोलन उपकरण, राइडिंग उपकरण, सल्कीज, हैंग-ग्लाइडर्स, डेल्टा विंग, विंड सर्फर, चढ़ाई उपकरण; तथा

(viii) सहायक उपकरण जैसे कि माप तथा स्कोर डिसप्ले उपकरण, रक्त तथा मूत्र परीक्षण उपकरण।

(ङ) टेस्टिंग या मेजरिंग या कैलीबिरेशन के लिए उपकरण जैसे कि-

(i) इंस्ट्रूमेंट तथा उपकरण;

(ii) टूल्स; तथा

(iii) इस प्रकार के उपकरण के प्रयोग के लिए संबंधित कोई सहायक सामग्री या पार्ट्स।

[फा .सं .15018/1/2016 निदेशक (आईसीडी)]

(डॉ. श्रीपार्वती एस. एल.)
अवर सचिव**,** भारत सरकार